Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व निष्पादन वाद सं.– 05/2017 सी.आई.एस.क्र.– 05/2017

अशोक कुमार मेहता द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
07.03.2026	प्रतिस्थापित डिक्रीदार एवं डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादी राज्य की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.01.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा समर्पित किया गया है कि यह निष्पादन वाद अशोक कुमार मेहता के द्वारा स्वत्व वाद सं0 177/2009 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु लाया गया है परंतु प्रतिवादी राज्य के द्वारा उक्त डिक्री के विरूद्ध स्वत्व अपील वाद सं0 56/2017 प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त अपील वाद के निष्पादन तक इस निष्पादन वाद की कारवाई को लंबित रखने की कृपा की जाये। डिक्रीदार के द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी राज्य की ओर से माननीय अपील न्यायालय के द्वारा निर्गत स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण से प्रतिवादी राज्य का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि डिक्रीदार अशोक कुमार मेहता के द्वारा यह निष्पादन वाद स्वत्व वाद सं0 177/2009 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु लाया गया है। प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रस्तुत सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी राज्य के द्वारा स्वत्व वाद सं0 177/2009 में पारित डिक्री के विरूद्ध स्वत्व अपील सं0 56/2017 प्रस्तुत किया गया है जो द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है परंतु प्रतिवादी राज्य के द्वारा उक्त अपीलीय न्यायालय के द्वारा इस निष्पादन वाद को स्थगित किये जाने के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी वाद या कारवाई को सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित स्थगन आदेश के बिना स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रस्तुत इस आवेदन को इस निर्देश के साथ **निष्पादित** किया जाता है कि प्रतिवादी राज्य इस आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर स्थगन आदेश प्रस्तुत करे। वाद आगामी दिनांक 19.03.2026 वास्ते अग्रिम कारवाई हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	